इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 516]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 सितम्बर 2022—भाद्र 29, शक 1944

गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2022

क्र. एफ-12-84-2020-बी-1-दो.—अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (1956 का 104) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए पुलिस अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित नीचे यथा उल्लिखित क्षेत्रों में अपराधों के निपटाने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :—

मध्यप्रदेश पुलिस के निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के समस्त पुलिस अधिकारी

अपने-अपने क्षेत्राधिकार में

- 2. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (1956 का 104) की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विशेष पुलिस अधिकारी से किनष्ठ श्रेणी के अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उसकी सहायता के लिए प्राधिकृत करती है.
- No. F. 12-84-2020-B-1-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Immoral Trafficking (Prevention) Act, 1956 (No. 104 of 1956) and in supersession of Previous notifications issued in this behalf, the State Government hereby, appoints police officers specified below as Special Police Officers for dealing with offences under the said Act in their respective areas of jurisdiction as mentioned below:—

All officers of Madhya Pradesh Police not below the rank of Inspector

In their respective jurisdiction

2. Further in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 13 of Immoral Trafficking (Prevention) Act, 1956 (No. 104 of 1956), the State Government, hereby, authorizes officers sub-ordinate in rank to the Special Police Officer for his assistance in efficient discharge of duties under the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव राजपुत, सचिव.